10.9.25 पत्रावली पे[illegible] ... कार्यव्यस्तता अधिक [illegible] आदेश [illegible]
मे, कार्य व्यस्तता अधिक ... पत्रावली वास्ते आदेश
जा सका है। पत्रावली वास्ते आदेश
25.9.25 को पेश हो।

SDO सा. केम्प मे पधारे है।

25.9.25 पत्रावली पेश हुई SDO सा. केम्प मे पधारे है।
उभय पक्ष उप.
पत्रावली पूर्वानुसार दि. 13.10.25
को पेश हो।

SDO सा. दौरे मे पधारे है।

13.10.25 पत्रावली पेश हुई SDO सा.
उभय पक्ष उप.
पत्रावली पूर्वानुसार दि. 27.10.25
को पेश हो।

27.10.25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे
कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा
सका है। प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक
समय होने से प्रकरण मे पुनः माजिद बहस सुनी गई पत्रावली दि
20.11.25 को पेश हो।

20.11.25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण
मे उभय पक्ष की बहस पूर्व मे बहस सुनी प्रा.पत्र
अ.धा. 212 R.T.A का सिद्ध नही होने से खारिज
किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार
हो कर नम्बर से कम हो।

# न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
## पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:– 40/2018

1. भैरूलाल पिता मांगीलाल कुमावत निवासी ब्रम्हपुरी बेगूँ तह0 बेगूँ
2. रामचन्द्र पिता मांगीलाल कुमावत निवासी ब्रम्हपुरी बेगूँ तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता नाथु खटीक निवासी खटीक का मोहल्ला बेगूँ तह0 बेगूँ
2. श्रीमती लालीबाई पुत्री मांगीलाल कुमावत निवासी बेगूँ हाल मुकाम पति चन्दा जी कुमावत निवासी हाडो का खेडा तह0 बेगूँ
3. श्री भूमिधारी जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय बेगूँ जिला चितौडगढ़
4. प्रहलाद पिता बालु जी जाति खटीक निवासी खटीक का मोहल्ला, बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता विपक्षी–1
श्री अनिल शर्मा
अधिवक्ता विपक्षी–2

आदेश दिनांक :– 20.11.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगणका प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध एक वाद प्रस्तुत किया है जिसके तथ्य इतने ठोस एवं सत्याधारित है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अवश्यक की डिक्री होगा, किन्तु उसके निर्णय होने मे समय लगने वाला है इसलिए वाद निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने हेतु यह प्राथना पत्र प्रस्तुत है।

यह कि ग्राम एवं पटवार क्षैत्र बेगूँ तहसील बेगूँ में प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के संयुक्त स्वामित्व की अविभाजित निम्न कृषि आराजीयात स्थित है :–

| आराजी नम्बर | क्षैत्रफल (हैक्टर) |
|---|---|
| 1330 | 0.5340 |
| 1332 | 0.1940 |
| 1333 | 0.1860 |
| कीता–3 | 0.9140 हैक्टर |

यह कि दिनांक 23.04.2018 को विपक्षी संख्या 02 में अपना तथाकथित निहित 1/4 हिस्सा की भूमि मे से 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 4 को विक्रय कर एक विक्रयपत्र भी पंजीबद्ध करा दिया किन्तु मौके पर न तो विपक्षी संख्या 2 का कब्जा था एवं न ही विपखी संख्या 1 व 4 को कब्जा सौपा गया, क्यो कि स्वयं विकेता विपक्षी सं0 2 के पास ही कब्जा नहीं था।

यह कि उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है। इस कृषि भूमि मे जरिये विरासत के विपक्षी संख्या 2 का भी नाम लगा दिया गया किन्तु वास्तविकता यह है कि विपक्षी संख्या 2 को उसके हिस्से की भूमि की प्रतिफल राशि उसको उसके विवाह के समय ही दे दिया गया था। इस प्रकार कानूनन विपक्षी संख्या 2 के पास कलम 1 में वर्णित भूमि मे न तो कोई स्वामित्व था एवं नही ही कोई कब्जा था। लेकिन रेवेन्यु रिकोर्ड की प्रविष्टि का दूर्भावनापूर्ण आशय रखा, अवैध लाभ की प्राप्ति की गरज से विक्रयपत्र का निष्पादन एवं पंजीयन संख्या 1 व 4 के पक्ष में कर दिया जो प्रार्थीगण के विरूद्ध शुन्य है।

यह कि विपक्षी संख्या 2 का मन मस्तिष्टक ही काफी समय से खराब चल रहा है एवं वह अपना भला वुरा सोचने की स्थिति में भी नहीं है, यही नही भोले स्वाभ का भी है। उसने अपनी तथाकथित रेवेन्यु रेकार्ड वर्णित हिस्से का नाजायज लाभ लेने की गरज से और भी कुछ लोगो से प्रतिफल राशि प्राप्त कर अनुवंध कर रखा है। इससे ही स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 2 स्वस्थ्य मस्तिष्क का नही है , लेकिन चूंकि विपक्षी संख्या 2 ने जो विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 1 व 4 के पक्ष में निष्पादित कराया है उसके आधार पर वह नामान्तरण भी खुलवाने के लिए तत्पर है। यही नहीं केता विपक्षी संख्या 1 ने भी दिनांक 24.04.2018 को ही प्रार्थीगण को धमकी दी है कि विपक्षी संख्या 2 का हिस्सा मैने ले लिया है इसलिए उनके हिस्से की भूमि पर मैं कब्जा करूंगा।

यह कि विपक्षी संख्या 1 व 4 प्रार्थीगण के परिवार का सदस्य नहीं है, एवं कलम 1 प्रार्थीगण की कृषि भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पति है। इसलिए विपक्षी संख्या 1 व 4 प्रार्थीगण के परिवार के लिए अजनबी व्यक्ति (स्ट्रेन्जर परसन) है। कानूनन सिकी भी स्ट्रेन्जर परसन को संयुक्त परिवार की सम्पति में विभाजन पूर्व प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। यही नही प्रवेश कर भी लिया हो तो भी विभाजन पूर्व प्रवेश न करने देने की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थीगण को अधिकार हैं।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 व 4 को न तो कब्जा दिया, न ही उसके द्वारा तजन के अभाव में कब्जा दिया जाना संभव था। विपक्षी संख्या 2 का चूंकि हिस्सा वर्णित भूमि का तफल उसको उसके विवाह के समय ही दे दिया गया था तो विपक्षी संख्या 02 का कोई हिस्सा कानूनन कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि में था ही नहीं। इसलिए भी विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षीसंख्या 01 वप 04 के पक्ष में दिनांक 23.04.2018 को निष्पादित तथाकथित पंजीकृत विक्रयपत्र एक निष्प्रभावी दस्तावेज है।

यह कि विपक्षी संख्या 1 व 4 को उक्त अभिवयन के आधार पर वाद वर्णित भूमि में प्रवेश करने का कोई अधिकार नही है, फिर भी विपक्षी संख्या 1 ने कल दिनांक 24.04.2018 को प्रार्थीगण मौके पर कब्जा करने एवं नामान्तरण खुलवाने की धमकी दी है, इसलिए मौके पर विपक्षी संख्या 1 व 4 एवं उसक परिवार का कोई भी सदस्य नौकर एजेन्ट रिश्तेदार आदि प्रवेश नहीं करें एव क्रय शुदा भूमि को अन्य किसी को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें तथा विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध रिकॉर्ड की यथास्थिति रखे जाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय श्रीमान आपके समक्ष प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा फरमाई जावे हकि विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि जो बेगूँ में स्थित है जिसके आराजी संख्या 1330, 1332, 1333 की कृषि भूमि में न तो स्वयं प्रवेश करें एवं न ही किसी नौकर ऐजेन्ट रिश्तेदार आदि से प्रवेश करावें। तथा विपक्षी संख्या 1 व 4 अब किसी के भी पक्ष में उक्त आराजीयात में निहित तथाकथित हिस्से को हस्तान्तरित नहीं करें तथा विपक्षी संख्या 03 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि वह पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 23.04.2018 का कोई नामान्तरण विपक्षी संख्या 01 व 04 के पक्ष में निर्णित नहीं करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में विपक्षी संख्या 1 की ओर से मूल वाद पत्र मे अधिकार पत्र श्री कैलाशचन्द्र मंत्री द्वारा प्रस्तु करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, तथा विपक्षी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिलशर्मा ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए जवाब 1 व 2 की ओर से इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार हैं। वादीगण का वाद मिथ्या एवं वेग तथ्यो पर आधारित होने से प्रथमदृष्टया ही निरस्त होने योग्य है।

यह कि कलम संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है हिक ग्राम बेगूँ की आराजी संख्या 1330, 1332 एवं 1333 प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं02 के संयुक्त स्वामित्व की होने का कथन सही होकर स्वीकार है मौके पर भूमि का प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 2 के मध्य आपसी सहमति से अर्सा कदीम से विभाजन कर रखा है एवं पृथक पृथक काश्त है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है। दिनांक 23.04.2018 को विपक्षी सं0 1 को हिस्सा 1/4 नहीं बल्कि हिस्सा 1/8 विक्रय किया है एवं मौके पर जो विपक्षी सं0 2 के पास कब्जा काश्त था उसका निस्फ जो हिस्सा 1/8 बनता है भौतिक रूप से विपक्षी सं0 1 को कब्जे सौंप दिया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं0 4 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0. 2 की पैतृक होकर विपक्षी सं0 2 की पैतृक होकर विपक्षी सं0 2 को हिस्सा अपने पिता की विरासत से प्राप्त हुआ है। जहॉ तक प्रश्न पूर्व में विवाह के समय कोई प्रतिफल राशि प्राप्त करने का है तो यह गलत होकर पूर्णतया मिथ्या है एवं कानूनन चलने योग्य नहीं है, क्यो कि विपक्षी सं0 2 का विवाह उसकी बाल्यावस्था में ही एवं पिताजी की जीवितावस्था में हो गया था, कानूनन किसी भी नाबालिग से कोई संव्यवहार नहीं यिका जा सकता हैं। स्वयं प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की कलम सं0 2 में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 2 का संयुक्त स्वामित्व अभिवचन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तो यहॉ विरोधाभाषी बात कैसे चल सकती है। विपक्षी सं0 2 द्वारा विपक्षी सं0 1 के पक्ष में कराया गया विक्रयपत्र पूर्णतया वैद्य एवं प्रभावी दस्तावेज है, जिसे सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना प्रार्थीगण विपक्षी सं0 1 व 2 के विरूद्ध किसी तरह की कोई राहत पाने के अधिकारी नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी सं0 2 शादीशुदा बाल बच्चेदार महिला होकर अपना भला बुरा समझती है, विपक्षी सं0 2 द्वारा विपक्षी सं0 1 के पक्ष में करये गये विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण भी हो चुका है। विपक्षी सं0 1 ने कभी भी प्रार्थीगण को कोई धमकी नहीं दी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं0 6 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 1 पहले से ही इसी कुंए पर अर्सा कदीम से यह हिस्सेदार होकर एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित है, किसी तरह स्ट्रेन्जर नहीं है। विपक्षी सं0 1 सहखातेदार हो चुका है एवं कानूनन किसी भी सह खातेदार के विरूद्ध किसी तरह की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं0 7 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने बदनियति पूर्वक विपक्षी सं0 2 की भूमि को बिना प्रतिफल हडपने की नियत से कई समय से विवाद कर रक्खा था एवं जब विपक्षी सं0 2 ने पूर्ण प्रतिफल लेकर अपना हिस्सा विपक्षी सं0 1 व अन्य को विक्रय कर दिया तो विपक्षी सं0 2 व केता को परेशान करने की नियत से गलत एवं वेग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र कलम सं0 8 गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी सं0 1 ने प्रार्थीगण को किसी तरह की कोई धमकी नहीं दी है एवं न ही देने की आवश्यकता थी क्यो कि मौके पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 2 का कब्जा पृथक पृथक होकर पृथक पृथक काश्त कर रहे है एवं जहॉ विपक्षीसं0 2 का कब्जा था

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

को विपक्षी सं0 1 को भौतिक कब्जा सौपा गया है। विपक्षी सं0 1 सह खातेदार होकर काविज है इस विपक्षी सं0 1 के विरूद्धकोई प्रथमदृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। विपक्षी सं0 3 के विरूद्ध भी कानून प्रदत्त कर्तव्यों की पालना से रोकने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। कलम संख्या 9 गलत होकर अस्वीकार है विपक्षी सं0 1 व 2 को जानबूझ कर परेशान करने एवं भूमि को हडपने की नियत से वाद प्रस्तुत किया है जो वैसे ही प्रथमदृष्टया ही निरस्त योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की क लम संख्या 10 गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी सं0 1 ने विधिक प्रकिया अपना कर पूर्ण प्रतिफल अदा कर भूमि वास्तविक स्वामी से खरीद की है जिसे उपयोग से उसे रोका गया तो विपक्षी सं0 1 को ही अपूर्तनीय हानि होगी जबकि प्रार्थीगण को स्वामित्व के अभाव में किसी तरह की कोई हानि परेशानी होने की संभावना नहीं है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र में विपक्षी सं0 4 द्वारा भी अपना जवाब प्रार्थना पत्र भी विपक्षी सं0 1 व 2 के जवाब अनुसार ही लिखते हुए कलमवार जवाब प्रस्तुत किया है जिसमें विपक्षी सं0 2 ने अपना हिस्सा विपक्षी सं0 1 मांगीलाल एवं विपक्षी सं0 4 प्रहलाद खटीक को विक्रय किया जाने का उल्लेख करते हुए राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर वे काविज काश्त होने का कथन अंकित किया है। विपक्षी सं0 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र की कलम सं0 1 से 10 का जवाब विपक्षी सं0 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार ही प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन अपने जवाब में अंकित किया है।

प्रार्थना पत्र में जवाब विपक्षीगण का प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी पैतृक सम्पत्ति होकर अविभाजित कृषि आराजी है जिसमें विपक्षी को आराजी विक्रय का अधिकार नहीं है। अविभाजित कृषि आराजी में किसी भी स्ट्रेन्जर परसन को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अतः विपक्षी सं0 1 व 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावें। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा न्यायिक उद्रण आर आर डी 1996 पेज 148 से 153 तक की छाया प्रति प्रस्तुत की है। आर आर टी 2004 पेज 666 से 675 तक की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिनका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया है।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपनी जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए निवेदन किया है कि विपक्षी सं0 2 को अपने हिस्से की कृषि आराजी विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षी सं0 1 व 4 को कृषि आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से की गई तथा प्रतिफल प्राप्त किया है, उक्त विक्रय के आधार राजस्व अभिलेख में अंकन होकर विपक्षीगण प्रार्थीगण के सहखातेदार है तथा सहखातेदारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना कानूनन गलत है। विपक्षी अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा उनकी भूमि पर स्वर्ण द्वारा काश्त करना धारा 42(बी) का उल्लघन है। न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा राजस्व मण्डल द्वारा आदेश किया हुआ है। प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड से इस प्रार्थना पत्र को नहीं लाये है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावें। बहस के दौरान न्यायिक सिद्धान्त आर आर टी 2023 पेज 657 से 659 तक एवं आर आर टी 2003 पेज संख्या 1282 से 1287 तकी छायाप्रति एवं आर आर टी 2003 के पृष्ट संख्या 1266 से 1271 तक की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है, जिनका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया।

हमारे द्वारा बहस सुने जाने एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोन किया जाने तथा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का भी गहन अवलोकन किये जाने के पश्चात प्रार्थना के निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दुओ पर निस्तारण किये जाने का प्रावधान है, जो निम्न प्रकार से किया जाता है:—

1— <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :—

प्रार्थना पत्र पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा बेगूँ खतौनी संख्या 548 में दर्ज आराजी संख्या 1330, 1332, 1333 कीता—3 कुल रकबा 0.9140 हैक्टर भूमि के खातेदार भैरू रामचन्द्र लाली पिता मांगीलाल कस्तुरी बेवा मांगीलाल कुमावत सा.देह खातेदार है तथा भूमि रहन हि. भैरू रामचन्द्र कस्तुरी का 3/4 चि.स.भू.वि. बैंक शाखा बेगूँ के नाम रहन है, तथा जमाबंदी में लालस्याही से नोट अंकित किया हुआ है कि नामा.सं. 3266 दिनांक 07.05.2016 से लाली पिता मांगीलाल ने अपना हिस्सा 1/4 का 1/2 विक्रय करने से खाते में केता प्रहलाद कुमार पिता बालूराम खटीक 1/8 सा.देह दर्ज हुआ है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहा। तथा ना.सं. 3267 दिनांक 07.05.2018 से लाली पिता मांगीलाल का शेष हिस्सा 1/8 विक्रय करने से खाते में केता मांगीलाल पिता नाथू खटीक 1/8 सा.देह दर्ज हुआ है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर भूमि अविभाजित है। जहाँ तक भूमि विक्रय किये जाने का प्रश्न है, तो संयुक्त खातेदार द्वारा अपने निहित हिस्से में भूमि विक्रय किये जाने पर अब कोई रोक नहीं है, इस पर अब कोई फ्रेगमेन्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है। कोई भी सहखातेदार अपने हिस्से का विक्रय कर सकता है। साथ ही अविभाजित कृषि भूमि के लिए किसी भी सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने का प्रावधान नहीं हो ता है क्यो कि वर्णित कृषि भूमि के प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का उनके हिस्से में अधिकार प्राप्त होता है। न्यायालय द्वारा विपक्षी को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 07.05.2018 को पावंद किये जाने का आदेश भी दिया गया है।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की चाही है कि विपक्षी सं. 1 व 2 प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि में न तो स्वयं प्रवेश करें न किसी अन्य से करावे तथा विपक्षी सं0 1 व 4 अब किसी के भी पक्ष में उक्त आराजीयात में निहित तथाकथित हिस्से को हस्तान्तरित नहीं करें। साथ ही विपक्षी संख्या 3 को पंजीकृत विक्रय का नामान्तरण नही किये जाने हेतु पाबंद किये जाने का

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

प्र किया है, लेकिन यहाँ यह उल्लेख किया जाना उचित है कि पूर्व में यह कथन हमारे द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सहखातेदार को उनके हिस्से की भूमि को विक्रय किये जाने से रोका नहीं जा सकता है, साथ ही जो कृषि भूमि विक्रय की गई है उसका नामान्तरण भी जरिये नामान्तरण संख्या 3266 दिनांक 07.05.2016 एवं ना.सं. 3267 दिनांक 07.05.2018 खोला जाकर केतागण का नाम जमावंदी में अंकित कर दिया गया है, जहाँ तक अजनवी केता का सहखातेदारी की भूमि में प्रवेश के लिए रोके जाने का प्रावधान है तो केता द्वारा खरीद किये गये निहित हक हिस्से में जहाँ विकेता का कब्जा काश्त था उसी पर प्रवेश करने के पश्चात ही नामान्तरण किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की गई है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ केतागण विपक्षी का संयुक्त खातेदारी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि में कब्जा काश्त नहीं होने के सम्वन्ध में न तो कोई साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये है ना ही कोई मौका रिपोर्ट सम्वन्धी कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जो न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किये है उनमें अजनवी व्यक्ति को संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रवेश किये जाने से रोके जाने हेतु आर आर डी 1996 पेज 148 से 153 तक की छायाप्रति प्रस्तुत की है, लेकिन यहाँ यह प्रावधान लागू नहीं होता है क्यो कि केतागण का निहित खरीद किये हुए हिस्से भूमि पर कब्जा काश्त है अथवा नहीं इस सम्वन्ध में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। इसी प्रकार न्यायिक सिद्धान्त आर आर टी 2004(1) पेज 666 से 675 की छायाप्रति का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसमें अविभाजित कृषि भूमि में अजनवी सहखातेदार कब्जा पाने का हकदार नहीं है, लेकिन विपक्षी सं. 1 व 4 के नाम भूमि का नामान्तरण होकर वह संयुक्त खातेदार है, तथा सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का प्रावधान नहीं होता है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त आर आर टी 2003 एवं आर आर टी 2023 से हम सहमत है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

2— <u>सुविधा का सन्तुलनः</u>—

प्रार्थना पत्र निस्तारण के प्रथम बिन्दु के निस्तारण में यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात मौजा मौजा बेगूँ खतौनी संख्या 548 में दर्ज आराजी संख्या 1330, 1332, 1333 कीता—3 कुल रकबा 0.9140 हैक्टर भूमि जो कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि है जो कि अविभाजित कृषि भूमि है तथा अविभाजित कृषि भूमि के लिए किसी भी सहखातेदारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है, क्यो कि सभी सहखातेदारान का प्रत्येक इंच भूमि पर हिस्सानुसार हक होता है। साथ ही वर्णित कृषि भूमि जो कि विपक्षी संख्या 1 व 4 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद की है तथा जरिये नामान्तरण से उनका नाम राजस्व अभिलेख में सहखातेदार के रूप में दर्ज किया गया है। विपक्षी संख्या 1 व 4 द्वारा विपक्षी संख्या 2 से उनके निहित हिस्से में हिस्सा खरीद कर क्रयशुदा हिस्से पर काबिज हुए है, वैसे भी खातेदार को कब्जेदार होता है। इस प्रकार यदि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो निश्चित ही उन्हें अपनी कृषि भूमि से महरूम होना पडेगा। इस प्रकार विपक्षीगण जो कि सहखातेदार है को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

3— <u>आर्थिक क्षति</u> :—

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि मौजा बेगूँ खतौनी संख्या 548 में दर्ज आराजी संख्या 1330, 1332, 1333 कीता—3 कुल रकबा 0.9140 हैक्टर भूमि के प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सहखातेदार काश्तकार है, यदि उक्त भूमि के लिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो निश्चित ही आर्थिक क्षति विपक्षीगण को होती है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए प्रतिपादित तीनों ही बिन्दु जिनका निस्तारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार किया है, वह प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है क्यो कि विपक्षीगण जिन्हें प्रार्थीगण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते है जबकि विपक्षीगण भी प्रार्थना वर्णित कृषि भूमि के सहखातेदार होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, तथा किसी सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना हम न्यायसंगत नहीं समझते है। ना ही किसी खातेदार को उसके निहित हक हिस्से को विक्रय किये जाने पर रोके जाने का अब कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20.11.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ